



JALAUN POLICE

दिनांक – 28.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप ०१ अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा ०१ अभियुक्त को ०३ वर्ष का कारावास एवं ८,०००/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्त प्रदीप पुत्र पप्पू अहिरवार नि० ग्राम बड़ागांव थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के संबन्ध में थाना कदौरा में दिनांक ०४.०५.२० को मु०अ०सं० ४७/२० (वाद संख्या ४५/२०) धारा ३५४/५०४/५०६ भादवि व ७/८ पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक ०४.०७.२०२० को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक २८.०५.२०२५ को मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा **अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को दोषी पाते हुये ०३ वर्ष का कारावास एवं ८,०००/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**